



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)



क्र. 03/संचा.प.क./स्टेनो/2014/1040

भोपाल दिनांक 1-12-2014

आदेश

परिवार कल्याण-प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत जटिलता के समुचित इलाज एवं प्रबंधन हेतु संभाग एवं जिला स्तरीय "परिवार कल्याण इमरजेंसी मेनेजमेंट यूनिट" के गठन के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले एवं संभाग में निम्नानुसार इकाई चिन्हित/स्थापित की जायें जो कि इस कार्य के लिये सक्षम एवं उत्तरदायी होगी।

ये इकाईयां निम्नानुसार गठित की जाती हैं-

जिला स्तरीय परिवार कल्याण इमरजेंसी मेनेजमेंट यूनिट :-

1. सिविल सर्जन
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. स्त्रीरोग विशेषज्ञ /चिकित्सक (वरिष्ठतम)
4. सर्जिकल विशेषज्ञ/चिकित्सक (वरिष्ठतम)
5. मेडीकल विशेषज्ञ/चिकित्सक (वरिष्ठतम)
6. एनेस्थेशिया विशेषज्ञ/चिकित्सक (वरिष्ठतम)

संभाग स्तरीय परिवार कल्याण इमरजेंसी मेनेजमेंट यूनिट:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
2. स्त्रीरोग विशेषज्ञ मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल (वरिष्ठतम)
3. सर्जिकल विशेषज्ञ मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल (वरिष्ठतम)
4. वेस्कूलर सर्जन (उपलब्धता के अनुसार) मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल
5. मेडीकल विशेषज्ञ मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल (वरिष्ठतम)
6. एनेस्थेशिया विशेषज्ञ मेडीकल कॉलेज हॉस्पिटल (वरिष्ठतम)

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

संचालक (प.क.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 1-12-2014

क्र. 03/ संचा.प.क./स्टेनो/2014/1041

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण मध्यप्रदेश।

सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. समस्त संभागीय/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन मध्यप्रदेश।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश